

प्रधान,

आयुक्ता,  
मुरादाबाद डल,  
मुरादाबाद।

दोनों में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

संख्या 1233/

27-59 (2008-09) जे०ए०

विषय :-

एस०पी० कान्वेन्ट रेजीडेन्सियल पब्लिक स्कूल, तिगरी चॉदपुर, जनपद बिजनौर को सी०बी०ए०स०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त सदर्भित विद्यालय को सी०बी०ए०स०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवेदन द्वारा उल्लिखित आपत्ति नहीं है :-

विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास के लिए संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ट्री एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल आफ दि इण्डियन कूल एवं सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वरिष्ठों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणीतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमान भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुभव निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्भर किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8- राज्य सरकार एवं सी०बी०ए०स०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवधारणा सुविधाओं को सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10- उक्त विद्यालय का सचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम मोर्चरी, परगना व तहसील चॉदपुर विजनौर में स्थित गाटा संख्या-216 के क्षेत्रफल 1.189 हेक्टेएर में से 0.440 हेक्टेएर की रजिस्टर्ड लीज डीड एवं गाटा सं० 218 में 0.455 हेक्टेएर 1/3 भाग गाटा सं० 219 में 0.544 हेक्टेएर का 1/3 भाग तथा गाटा सं० 197 में 0.974 हेक्टेएर का 1/6 भाग (कुल 0.495 हेक्टेएर) भूमि कुल रकवा 9350 वर्गमीटर में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा छिट्ठी भूमि अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवेदनों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीप,

B  
Principal  
S.P. Convent Sr. Sec.  
Residential Public School  
Tigri Chandpur

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

- प्रतिवेदनीपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।  
2- शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
3- निरीक्षक, आगरा भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।  
4- जिलाधिकारी विजनौर।

( डॉ गुरदीप सिंह )

मण्डलाधिकारी।

Manager

S.P. Convent Residential Public School  
Tigri, CHANDPUR (Bijnor)